



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1034]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 9, 2014/वैशाख 19, 1936

No.1034]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 9, 2014/VAISAKHA 19, 1936

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2014

का.आ. 1244(अ).—केन्द्रीय सरकार द्वारा, भारत सरकार की पर्यावरण और वन मंत्रालय में अधिसूचना सं. का.आ. 19 (अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिसूचना कहा गया है) कतिपय तटीय क्षेत्रों को तटीय विनियमन खंड के रूप में घोषित किया गया है और उक्त खंड में उद्योगों की स्थापना और विस्तार तथा प्रचालनों पर निर्बंधन अधिरोपित किए हैं ;

और उक्त अधिसूचना के पैरा 5 के खंड (viii) के अधीन राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र के तटीय खंड प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा उसकी सिफारिशों सहित प्रारूप तटीय खंड प्रबंधन योजना, पणधारियों से प्राप्त सुझावों और आक्षेपों का शामिल करते हुए पर्यावरण और वन मंत्रालय को 30 सितम्बर, 2013 को या उससे पूर्व प्रस्तुत करना अपेक्षित है ।

और राष्ट्रीय तटीय प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा, तटीय खंड प्रबंधन योजना की प्रास्थिति का आवधिक रूप से पुनर्विलोकन कर लिया गया है और उसने यह पाया है कि तटीय खंड प्रबंधन योजना की तैयारी प्रगति पर है, राज्य और संघ राज्यक्षेत्रों को उनकी संबंधित प्रारूप तटीय खंड योजना को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने में कुछ और समय लग सकता है ।

और केन्द्रीय सरकार की पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम..... के उपनियम (4) के उपबंध को ध्यान में रखते हुए यह राय है कि उक्त अधिसूचना का संशोधन करने के लिए नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (क) की अपेक्षा से छूट प्रदान करना लोकहित में है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (घ) और उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना के पैरा 5 में,-

(क) मद (viii) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :-

“(viii) राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र का तटीय खंड प्रबंधन प्राधिकरण अपनी सिफारिशों सहित पणधारियों से प्राप्त सुझावों और आक्षेपों को शामिल करते हुए पर्यावरण और वन मंत्रालय को प्रारूप तटीय खंड प्रबंधन योजना 30 सितम्बर, 2014 को या उससे पूर्व प्रस्तुत करेगा ;

(ख) मद (xii) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात्

(xii) पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा पहले से ही अनुमोदित तटीय खंड प्रबंधन योजनाओं का उपयोग 31 जनवरी, 2015 तक किया जाएगा ।”

[सं. 11-83/2005-आईए, III]

मनिन्दर सिंह, संयुक्त सचिव

स्पष्टीकारक ज्ञापन : का.आ. 2557 (अ), तारीख 22 अगस्त, 2013 द्वारा किए गए संशोधन के अनुसार राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र को पर्यावरण और वन मंत्रालय को तटीय खंड प्रबंधन योजनाएं प्रस्तुत करने के लिए प्रदान की गई समय सीमा 30 सितम्बर, 2013 तक विधिमान्य थी और पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित तटीय खंड प्रबंधन योजनाएं 31 जनवरी, 2014 तक विधिमान्य थीं। यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रारूप तटीय खंड प्रबंधन योजनाओं को प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा का विस्तार और तटीय खंड प्रबंधन योजनाओं की विधिमान्यता को भूतलक्षी रूप से विस्तारित करने से ऐसे किसी व्यक्ति जिसको ऐसी अधिसूचना लागू हो सकेगी के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में का.आ. 19 (अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th April, 2014

S.O. 1244(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O.19 (E), dated the 6th January, 2011 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government declared certain coastal stretches as Coastal Regulation Zone and restrictions were imposed on the setting up and expansion of industries, operations and processes in the said Zone;

And whereas under clause (viii) of paragraph 5 of the said notification the Coastal Zone Management Authority of the State Government or of the Union territory are required to submit the draft Coastal Zone Management Plans along with its recommendations to the Ministry of Environment and Forests on or before the 30th September, 2013, after incorporating the suggestions and objections received from the stakeholders.

And whereas the status of preparation of the Coastal Zone Management Plans has been periodically reviewed by the National Coastal Zone Management Authority and it has noted that the preparation of Coastal Zone Management Plans are in progress, it may take some more time for the States and Union territories to submit their respective draft Coastal Zone Management Plans for approval.

And whereas the Central Government, having regard to the provision of sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, is of the opinion that it is in public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the said rules for amending the said notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with clause (d) of sub-rules (3) and sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the said notification, namely:—

In the said notification, in paragraph 5,

(a) for item (viii), the following item shall be substituted, namely:—

“(viii) The Coastal Zone Management Authority of the State Government or of the Union territory shall submit the draft Coastal Zone Management Plans along with its recommendations to the Ministry of Environment and Forests on or before the 30th September, 2014 after incorporating the suggestions and objections received from the stakeholders;

(b) for item (xii), the following item shall be substituted, namely:—

(xii) The Coastal Zone Management Plans which are already approved by the Ministry of Environment and Forests shall be used till 31st January, 2015”

[No. 11-83/2005-IA.III]

MANINDER SINGH, Jt. Secy.

Explanatory Memorandum-

As per amendment vide S.O. 2557(E) dated 22nd August, 2013, the period of time limit granted to the State Government/ Union Territory to submit the draft Coastal Zone Management Plans to Ministry of Environment and Forests was valid till 30th September, 2013 and the Coastal Zone Management Plans approved by the Ministry of Environment and Forests were valid till 31st January, 2014. It is certified that extending the time limit to submit the draft Coastal Zone Management Plans and also extending the validity of the Coastal Zone Management Plans with retrospective effect shall not prejudicially affect the interest of any person to whom such notification may be applicable.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 19(E), dated the 6th January, 2011.